तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/2019 दिनेश चन्द / मूली उर्फ [illegible]	
15/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप० वकील रेस्पो. सं० L आज। बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22/3/21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
22.03.21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आदेश लिखाये जाने से पूर्व अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने उपस्थित आकर बहस सुनने का आग्रह किया गया। न्याय हित में रेस्पोंडेन्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 01.04.21 को कैम्प अलवर में पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
01.04.21.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.04.21 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
12.04.21	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जरवाड़ा की खाता संख्या 181 कुल किता 20 रकबा 12.21 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 66 ख. नं. 331 रकबा 0.03 हैक्टेयर में 1/8 हिस्सा एवम् खाता संख्या 67 के ख. नं. 387 रकबा 0.06 हैक्टेयर में 1/16 हिस्सा जो वादग्रस्त भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 24.04.2016 ग्राम पंचायत जरवाड़ा द्वारा तसदीक किया गया था। उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के समक्ष दिनांक 12/02/2018 प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ दिनांक 29.05.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर अपील स्वीकार की गई एवम् प्रकरण तहसीलदार	
(सीता राम स्वामी) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/2019 डिमला चन्द / सूतीऊर्फ नगो	

लक्ष्मणगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक चतरसिंह की विरासत का विधि अनुसार पुनः रन्तकाल निर्णीत किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के उक्त निर्णय के विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेन्टस को तलब किया गया। तहतन्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलांट के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत की गई है तथा उसी के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 112 तसदीक किया गया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दफा 5 पर बहस सुनी गई थी परन्तु अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) द्वारा धारा 96 CPC का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2020 RRT(2) 1078 तथा 2020 RRT (1) 271 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि गोदनामा के आधार पर 1/2 भाग की भूमि ही अपीलांट को मिलनी चाहिये थी परन्तु वसीयत के आधार पर पूरी भूमि दे दी गई जबकि वसीयत की वैधता को सिविल न्यायालय में चुनौति दी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निमाण किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा अपील में कोई विधिक बल नहीं होने से अपील

(सीता राम स्वामी) अति. ... आयुक्त, ...पुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/2019 दिनेश चन्द / मूर्तीदेवी [illegible]	

खारिज की जाये।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक चतरसिंह की विरासत का विधि अनुसार पुनः इन्तकाल निर्मित करने के निर्देश तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दिये गये हैं। अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये तथा नामान्तरकरण संख्या 112 ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर ही तसदीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत नामान्तरकरण एवं वसीयत की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक चतरसिंह द्वारा विवादित वसीयत दिनेश चन्द पुत्र हरचरण के पक्ष में की गई है तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण में दिनेशचन्द की वल्दियत चतरसिंह दर्ज की गई है जो विवादास्पद है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण तसदीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसों को सुना भी नहीं गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जिसमें उभय पक्ष को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध होगा। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय से किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं है। अतः मेरे विनम्र मत से अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है तथा प्रस्तुत अपील में

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/2019 दिनेश चन्द/ प्रती [illegible]	
	कोई विधिक बल निहित नहीं होने से वह खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) दिनांक 29.05.2019 यथावत रखा जाता है। तहत अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सुनाया गया। (सेवा राम स्वामी) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

अपील संख्या ....8...../2019

दिनेश चन्द पुत्र श्री हरचरण, जाति गुर्जर, निवासी हनुमानवास, तन सन्तोपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

अपीलान्ट......

बनाम

1. मुर्ती उर्फ नन्गो पुत्री स्वर्गीय चतरसिंह पत्नि श्री रमेश, जाति गुर्जर, निवासी हनुमानवास, तन सन्तोपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर हाल निवासी ग्राम घोघोर, तहसील कॉमा, जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट्......

2. संरपच ग्राम पंचायत जटवाड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

तरतीबी–रेस्पोडेन्ट्......

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 29.05.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट/असल–रेस्पोडेन्ट की अपील संख्या 12/2 सन् 2018 गलत तरीक पर खिलाफ मनशाये कानून स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 112 दिनांक 24.04.2016 निरस्त किया गया जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।

श्रीमान्,

उजरात अपील निम्नलिखित प्रस्तुत है :-